

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतन माल

बनाम

राजेन्द्र कुमार

सम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

239/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4-6-25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रतन माल</u></p> <p>पिता श्री <u>राजेश्वराम नन्दा</u></p> <p>निवासी- <u>शुद्धराज वारिका Col</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>धनेरखुई</u> <u>प.ड. 055</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर....</p> <p><u>291</u> <u>312</u> <u>314</u> <u>0.75</u> <u>0.42</u> <u>0.32</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> कुल रकबा <u>1.49</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>धनेरखुई (अरकोट)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>291</u> <u>312</u> <u>314</u> <u>0.75</u> <u>0.42</u> <u>0.32</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> रकबा <u>1.49</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>रु. 6-511 519</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवन) सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>